IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डा. भीमराव आंबेडकर के चिंतन में सामाजिक समरसता की प्रविधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन

*डा. गिरीश गौरव

**दामोदर गौतम

*सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाज नृविज्ञान विभाग हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

** शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाज नृविज्ञान विभाग हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

सारांश

डा. भीमराव आंबेडकर का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक विषमताओं को दूर करने और सामाजिक समरसता लाने में व्यतीत हुआ | भारतीय समाज के अन्दर व्याप्त विषमताओं और छुआछूत जैसे भेदभाव को दूर करने का कार्य उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही शुरू कर दिया था | मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जहाँ उन्होंने दलितों और पिछड़ो की आवाज को उठाने का कार्य किया वहीं उन्होंने महाड आन्दोलन करके सार्वजनिक स्थलों पर दलितों के अधिकार की बात की | डा. आंबेडकर का मानना था कि "जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिन्दुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी और जब तक संगठन नहीं होगा हिन्दू कमजोर और डरपोक रहेंगे | जाति प्रथा के संदर्भ में आंबेडकर के संघर्ष के प्रमुख दो मार्ग थे | पहला गहराई से अध्ययन करके जाति उत्पति एवं व्यवस्था के मूल कारण को तलाशना | दूसरा था जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलनात्मक गतिविधियों का संचालन करना | वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि समाज के दलित और शोषित वर्ग को जब तक क़ानूनी और संवैधानिक प्रावधानों से समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया तब तक सामाजिक समरसता अधूरी है | इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डा. आंबेडकर ने जिस प्रविधि का प्रयोग किया वह भारतीय संविधान के रूप में परिलक्षित होती है | प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा डा. भीमराव आंबेडकर के चिंतन में सामाजिक समरसता लाने के लिए जिस प्रविधि का प्रयोग किया गया उसका विश्लेषण किया गया है |

मुख्य शब्द:- सामाजिक समरसता, छुआछूत, संविधान, जाति भेदभाव, प्रविधि

शोध पत्र

भारत के सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन को नई दिशा देने वाले डा. भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 में इंदौर के समीप महू नामक छावनी कस्बे में हुआ | उनके पिता का नाम रामजी वल्द मालोजी सकपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था | आंबेडकर के पिता जी महू में मेज़र सूबेदार के पद पर कार्यरत थे | डा. आंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सितारा में हुई | "उनके एक ब्राह्मण अध्यापक ने उनकी कुशाग्र बुद्धि और गुणों को देखकर उन्हें अपना नाम दे दिया था और उसके बाद वे आंबेडकर कहलाने लगे"[1] | भारतीय समाज के अन्दर व्याप्त विषमताओं के कारण आंबेडकर को बहुत कठिनाई हुई और छुआछुत एवं अनेक भेदभाव सहने पड़े | बड़ोदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की छात्रवृति मिलने पर भीमराव ने 1912 में मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की | गायकवाड़ की ही छात्रवृति पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया | अपने जीवन काल में बाबासाहब ने असंख्य कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया | दलित एवं आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, छुआछुत, जाति, ऊँच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतिओं को समाप्त करने के लिए महाड सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह 1928, येवला की गर्जना जैसे अनेकों आन्दोलन चलाये | भारतीय संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते भीमराव आंबेडकर का सविंधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था | 14 अक्तूबर, 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में एक औपचारिक समारोह में बाबासाहब ने भगवान बुद्ध की शरण में जाने की घोषणा की | डा. आंबेडकर ने उस समय कहा था कि "मैंने अरसे पहले महात्मा गाँधी को वचन दिया था कि समय आने पर मैं उस मार्ग को स्वीकार करूँगा जिससे इस देश को कम से कम खतरा पहुंचेगा | इसलिए बुद्ध को स्वीकार कर मैं इस देश का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर रहा हूँ | आज मैंने वह वचन पूरा कर लिया है | बुद्ध, भारत की सनातन परम्परा का ही हिस्सा हैं | इसलिए मेरी इस दीक्षा से संस्कृति और इतिहास की परम्परा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी"[2] | अपनी अंतिम रचना भगवान बुद्ध और उनका धम्म पूरा करने के बाद 6 दिसंबर 1956 को डा. आंबेडकर का स्वर्गवास हो गया |

ष्यह स्थापित सत्य है कि बाबासाहेब डा आंबेडकर गत शताब्दि के ऐसे महामानव थेए जिन्हे भारत निर्माण का मुख्य शिल्पकार होने का श्रेय प्राप्त है। वे बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्नए दृढ निश्च्यीए अकूत साहस व उत्साह के धनीए सन्घर्षशीलए जुझारु और अपनी धुन के पक्के युग पुरुष थे। उनका विराट व्यक्तित्व बहुआयामी और बहुमुखी था। एक प्रखर विधिवेताए मजदूरों के प्रबल पक्षधरए नारी जाति के पक्के हिमायती व उद्धारकए कुशल राजनीतिज्ञए महान संविधानविदए आदर्श सांसदए अनुपम शिक्षाशात्रीए युगांतरकारी समाज सुधारक एवम अनुपम सामाजिक क्रान्तिकारी तो वे थे हीए किंतु इन सबसे बढ़ कर वे दलितोंए शोषितोंए वंचितोंए महिलाओंए के सच्चे मसीहाए मुक्तिदाता थे"[3]। उनके इन महान गुणों के कारण वे संसार के उत्कृष्ट समाजशास्त्रियों में गिने जाते हैं। "डा. आंबेडकर में यह सामर्थ्य था कि वे अपने तर्क को आन्दोलन का रूप देते थे | उनके तर्क के पीछे सामाजिक संज्ञान और सदियों से चले आ रहे पीड़ागत जातीय अनुभव का आधार है"[4] |

बाबासाहेब डा. आंबेडकर की राष्ट्र अवधारणा

राष्ट्र की अवधारणा हेतु बाबा साहब ने मशहूर राजनीतिक शास्त्री अरुणेश एरनेस्टरेनन के हवाले से कहा कि राष्ट्र एक जीवित आत्मा एवं एक आध्यात्मिक सिद्धांत है यह दोनों चीजें लगती अलग-अलग है परंतु वास्तविकता में ये दोनों एक ही है। एक अतीत है तो दूसरा वर्तमान | एक उच्च सांस्कृतिक विरासत की स्मृतियों का सामान्य स्वामित्व है तो दूसरा साथ-साथ रहने की वास्तविक स्वीकृति एवं संकल्प | एक ऐसी अभिलाषा जो प्रतिष्ठित होकर तरह-तरह से हमें सौंपी गई। राष्ट्र एक व्यक्ति की तरह लंबे प्रयासों, त्याग एवं लगन का परिणाम है | वैभवशाली अतीत, महान व्यक्तियों के गौरव एवं सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर राष्ट्र की कल्पना पल्लवित होती है। अतीत में सामूहिक गौरव का होना एवं वर्तमान में सामूहिक संकल्प, महान कार्य को क्रियान्वित करना तथा भविष्य में पुनः ऐसा ही करने का संकल्प राष्ट्र निर्माण हेतु मूलभूत अवस्थाएं हैं।

ष्कई हजार जातियों में बंटे लोग राष्ट्र कैसे हो सकते हैं क्योंकि जातियां तो राष्ट्र विरोधी होती हैं यह सामाजिक जीवन में बिलगाव फैलाती हैं तथा दूसरी और यह जाति-जाति के बीच ईर्ष्या एवं विद्वेष पैदा करती हैं। उनका कहना था कि अगर हमें राष्ट्र बनना है तो हमें इस कठिनाई को जल्द से जल्द दूर करना होगा[5]। "राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधक एक अन्य तथ्य का उद्घाटन करते हुए बाबा साहब ने बताया कि भारतीय समाज में समग्र वर्ग की चेतना का नितांत अभाव है। यहां हर व्यक्ति में जातीय चेतना है उनका मानना था कि यह जातीय चेतना केवल और केवल अपनी जात का ही सोचती है। अतः जब तक यह जातीय चेतना रहेगी तब तक भारतीय समाज में भाईचारा नहीं बनेगा और भाईचारे के अभाव में समानता और स्वतंत्रता भी नहीं मिल पायेगी । अतः इन तीन तत्वों- भाईचारा, स्वतंत्रता एवं समानता के अभाव में राष्ट्र कैसे बन सकता है। भारत में समता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के अभाव के कारण बाबासाहेब भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे"[6]।

आंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बहिष्कृत समुदाय के अधिकारों तथा सम्मान को सुनिश्चित करना बताया। इस क्रम में बाबासाहेब ने अस्पृश्य दलित जनजातियों, अल्पसंख्यक को तथा भारतीय हिंदू महिलाओं के सम्मान एवं अधिकारों को स्थापित करने की बात कही | उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाएं सरकार को ज्ञापन दिए एवं संविधान में इसकी व्यवस्था करने के लिए संघर्ष किया। परंतु सबसे पहले बाबासाहेब आंबेडकर ने दलितों के मानव अधिकारों तथा नागरिक अधिकारों की स्थापना के लिए गुहार लगाई एवं संघर्ष किया । बाबा साहब ने दलितों के अधिकारों को हासिल करने हेतु स्व प्रतिनिधित्व को ज्यादा महत्व दिया इसके लिए उन्होंने सरकार से दलितों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि स्व प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिवेदन दिए |

बाबासाहेब डा. आंबेडकर की जातीय अवधारणा-

डा आंबेडकर का मानना था कि "जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिन्दुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी और जब तक संगठन नहीं होगा हिन्दू कमजोर और डरपोक रहेंगे |"[7] "आंबेडकर जातिप्रथा को हिन्दू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे | "मेरे विचार में हिन्दू समाज जब एक जातिहीन समाज बन जायेगा, तभी इसके पास स्वयं को बचाने के लिए काफी शक्ति होगी"[8] | जाति प्रथा के संदर्भ में आंबेडकर के

संघर्ष के प्रमुख दो मोर्चे थे | पहला गहराई से अध्ययन करके जाति उत्पति एवं व्यवस्था के मूल कारण को तलाशना | दूसरा था जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलनात्मक गतिविधियों का संचालन करना |"[9] जाति उत्पत्ति को जानने के लिए बाबासाहब ने वेदों, धर्मशास्त्रों, धर्मस्मिृतियों से सन्दर्भ ले कर यह स्पष्ट किया कि क्षत्रियों के ही एक समूह को किस तरह से कपट पूर्वक शूद्रों का दर्जा दिया गया | बाबासाहब आंबेडकर ने "शुद्र कौन थे" नामक अपने शोध ग्रंथ में प्राचीन धर्मग्रंथों का अध्ययन करके यह बात प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वैदिक संस्कृति ही महान संस्कृति थी और इसमें भारतीय समाज में शूद्रों के प्रति व्याप्त कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है | उनका मानना था की यदि कुछ धर्मग्रंथों में जो की अधिकतर समृतिकाल के है में शूद्रों के प्रति अपमान और निम्नस्तर का सिद्धांत अप्रमाणिक लगता है और यही " सिद्धांत उनके देश और उनके समाज की अवनति और पतन के लिए जिम्मेदार है, इस पीढ़ी के हिन्दू मेरी कही बातों पर ध्यान नहीं देते, परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि भावी पीढ़ी तो ध्यान देगी ही |"[10]

डा. आंबेडकर द्वारा सामाजिक समरसता लाने की प्रविधि

डा. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समरसता के लिए जिस प्रविधि का प्रयोग किया है वह भारतीय संविधान के रूप में हम सभी के सामने है | यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें डा. आंबेडकर के सामाजिक चिन्तन और उस चिन्तन को क्रियान्वित करने की प्रविधि का विस्तार से वर्णन किया गया है | डॉण भीमराव आंबेडकर को अपने जन्मकाल से ही अछूत होने की वजह से अपमान व तिरस्कार का सामना करना पड़ा । ष्स्कूल के बरामदे में बैठकर पढ़ने का मामला हो या सतारा जाते हुए तांगे से पटक देने की घटना होए बड़ौदा में निवास की समस्या हो या चपरासियों द्वारा दूर से ही फाइलें फेंकने की कुप्रवृत्ति होए महाड़ जल ग्रहण का अभियान हो या नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह होए इन सभी घटनाओं ने उनके हृदय छलनी किया हुआ था । कारण थाए विकृत समाज व्यवस्था ।11 यही कारण हैं कि उन्होंने संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत समाज में व्याप्त बुराईयों और कुरीतियों का अन्त कर दिया। संविधान सभा के ष ड्राफ्टिंग समितिष के अध्यक्ष के रूप में डा. आंबेडकर ने भारतीय सामाजिक एवं राजनीति व्यवस्था को एक निश्चित आकार देने की दिशा में असाधारण योगदान दिया।'सही अर्थ में लोकतन्त्र की स्थापना तभी हो सकती है जब स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित हो जाते हैं उद्देशिका में व्यक्ति के इन आवश्यक अधिकारों का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के रूप में उल्लेख किया गया है'[12] | डॉ० आंबेडकर ने समाज के दलित वर्गों के साथ.साथ अन्य पिछड़े वर्गों महिलाओंए जनजातियोंए कमजोर वर्गों इत्यादि में सामाजिक व राजनैतिक चेतना का संचार करने का अथक प्रयत्न किया था। सदियों से एक परम्परा के रूप में चली आ रही हिन्दू सामांतिक व्यवस्था की कुरीतियों को चुनौती दी थी और उन्हें सचेत किया था कि वे समय के अनुसार अपनी रूढ़िगत प्रथाओं में लचीलापन लाए तथा अपनी संकीर्ण विचारधारा में परिवर्तन करें |[13]

उनके प्रयत्नों से संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था की गयी तथा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाज से पूरी तरह दूर करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित अछूत जातियों के लिए संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष तक के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। सच तो यह है कि भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियमए 1955 का मसौदा तैयार करने तथा इसे पास करवाने का मुख्य श्रेय भी डॉ० आंबेडकर को ही है।

सामाजिक समानता के लिए कानूनी सुधार की आवश्यकता को डॉ० अम्बेडकर ने इंग्लैण्ड से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौटते ही महसूस करना आरम्भ कर दिया था। सन् 1930 में जब आंबेडकर को दलित जातियों की स्थिति में सुधार करने के लिए गठित एक विशेष कमेटी का सदस्य बनाया गया तो उस समय भी उन्होंने यह सिफारिश की थी कि ;1द्ध सरकारी नौकरियों में दलित जाति के शिक्षित लोगों को नौकरी देने में नरमी बरती जायेए ;2द्ध दलित विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जायेरू ;3द्ध ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जायेय ;4द्ध कारखानोंए कार्यशालाओं तथा दूसरी तरह के प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें वजीफे दिये जायें ;5द्ध उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थियों को विदेश जाने के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ दी जायें तथा ;6द्ध इन सभी कार्यों की समुचित देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाये। यह सभी सिफारिश यद्यपि अंग्रेजी शासनकाल में लागू नहीं की जा सकी लेकिन स्वतंत्रता के बाद डॉण आंबेडकर के प्रयत्नों से इन सभी को लागू करने की एक व्यापक योजना तैयार हुई ।

स्वतन्त्र भारत के संविधान में कहा गया है कि सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित आवश्यक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई। उन्हें विधानसभा व लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई तथा सरकारी व अर्ध-सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। जिनका लाभ उन्हें अभी तक प्राप्त हो रहा है। संविधान की भूमिका, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अधिकाधिक पूर्ति पर विशेष बल दिया गया है। उनके विकास और कल्याण के लिए कार्य करना राज्यों का मुख्य दायित्व बताया गया है। समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक विकास को गति देने के लिए संविधान की धारा 38 और 39 (अ), (ब) और (स) के तहत शासन ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। दलित जातियों के उत्थान को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उनके लिए पृथक से आर्थिक संसाधनों व कार्यक्रम की व्यवस्था की गई।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन मुख्य बातों पर विशेष जोर दिया गया है जिसमें पहली है- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरी है- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और तीसरी है- प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यह सभी शब्द डॉ० आंबेडकर के हृदय से निकले अनमोल शब्द थे जिसमें सामाजिक न्याय दर्शन का यथार्थ निहित है। इसको और अधिक व्यापक व विस्तृत बनाते हुए, मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान में जगह-जगह पर "सामाजिक न्याय" से संबन्धित विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। जिसके कारण संविधान में सैकड़ों अनुच्छेद व उनके उप-भाग "सामाजिक न्याय" को व्यवहारिक व सैद्धान्तिक रूप प्रदान करते हैं। ये सभी डॉ. आंबेडकर की ही प्रचंड बौद्धिक क्षमता की उपज है ।[14] 1 डॉण अम्बेडकर ने संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत

समाज में व्याप्त बुराईयों और कुरीतियों का अन्त कर दिया। अछूतए अस्पृश्यए दलित लोग दुकानोंए सार्वजनिक होटलोंए मनोरंजन के स्थानोंए शिक्षण संस्थानोंए धर्मशालाओंए कुओं व सार्वजनिक नलों का भी उपयोग नहीं कर सकते थे। डॉण आंबेडकर ने देश में नागरिकों के लिए संविधान में मूल अधिकारए मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व बनाये हैं जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके।

डॉ. आंबेडकर यह जानते थे कि व्यक्ति को अधिकार प्रत्याभूत करना अर्थहीन हो जाएगा, यदि उसकी सामाजिक संरचना से असमानता दूर नहीं की जाती। संविधान में इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक और दूसरे नागरिक के मध्य राज्य द्वारा किए जाने वाले सभी विभेदों को अवैध घोषित किया गया है। ये ऐसे विभेद हैं जो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर (अनुच्छेद- 15) है । संविधान में सभी सार्वजनिक स्थानों को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खोल दिया गया है (अनुच्छेद-15 (2)। इसी तरह अनुच्छेद-17 के माध्यम से अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इसी क्रम में उपाधियों का अन्त (अनुच्छेद-18), नियोजन से संबन्धित सभी विषयों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गयी है (अनुच्छेद-16), विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण को ऐसा अधिकार बनाया गया है, जिस पर न्यायालय बेहिचक निर्णय दे सकता है (अनुच्छेद-14)[15]

डॉण आंबेडकर संविधान की धारा **335** के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं व पदों में आरक्षण की व्यवस्था करके दलितए निम्नए शोषित वर्ग के अधिकारों को मूर्तरूप प्रदान किया। इस सन्दर्भ में उनका मानना था कि जब दलितए निम्न वर्ग को सवर्ण लोग घरों में घुसने नहीं देते तो उनको नौकरियों में कैसे जाने देंगेघ नागरिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त उपबन्धों के अतिरिक्त राजनैतिक समानता के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार (अनुच्छेद-326) के माध्यम से सामाजिक समता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में दलितों के उत्थान हेतु जो धाराएँ बनायी गई हैं उनमें से कुछ प्रमुख धाराएँ निम्नांकित है

अनुच्छेद- 14

विधि के समक्ष समता भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद- 15

;1) राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुँओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक ध समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

अनुच्छेद- 16

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में अपात्र नहीं होगा या उसमें विभेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद- 17

"अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से ऊपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद- 23

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती वाला श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा।

(2) राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निर्वाचित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश जाति या वर्ग या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद- 29

राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-46

राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

अनुच्छेद- 330

लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

अनुच्छेद- 331

अनुच्छेद-81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनाधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।

अनुच्छेद- 332

राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |

अनुच्छेद-333

राज्यपाल की राय में कि उस विधानसभा में आंग्ल- भारतीय समुदाय का

प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए वह एक सदस्य की नियुक्ति कर सकेगा।

अनुच्छेद- 334

इसमें उपबंध है कि

(क) लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

(ख) तथा उपरोक्त आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी;

अनुच्छेद- 335

संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने में इनका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

अनुच्छेद-338

अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के कल्याण के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवायेगा ।

डॉ. आंबेडकर के कठिन प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज अछूतों व दलितों को समानता का अधिकार प्राप्त हो सका है। आज एक अछूत बालक विद्यालयों में सवर्ण बालकों के साथ बैठकर पढ़ सकता है, उनके साथ खाना खा सकता है, उनके साथ उठ- बैठ सकता है। अछूत तीर्थों, मंदिरों आदि सभी सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी रोक-टोक प्रवेश पा सकते हैं। इसी प्रकार अब उन्हें राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो रही है। परन्तु सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि वे अब हीन भावना का शिकार नहीं है। इस प्रकार उनके सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली अधिकांश बाधाएँ प्रत्यक्ष व वैधानिक रूप से हटने लगी है।[16]

भारत का संविधान न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक लोकतन्त्र का वचन देता है | इस बात को डॉ० आंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था: " यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतन्त्र नहीं है तो वह नष्ट हो जायेगा | सामाजिक लोकतन्त्र का अर्थ है, वह जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता और बंधुता को मान्यता देती है | जिसमें ये दोनों अलग-अलग न माने जाकर त्रिमूर्ति के रूप में माने जाते हैं | वे इस त्रिमूर्ति का एकीकरण हैं | इस अर्थ में यदि एक को हम दूसरे से अलग कर दें तो लोकतन्त्र का आशय निष्फल हो जायेगा | स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता | इसी तरह स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से विलग नहीं किया जा सकता |"[17]

भारतीय संविधान के निर्माता डॉ० आंबेडकर ने अपने संवैधानिक प्रविधि द्वारा दलितों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण तथा उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण योगदान किया

है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं कि वर्तमान में दलितों की स्थिति में जो सुधार आया है उसमें डॉ॰ आंबेडकर द्वारा प्रारूपित संविधान का बहुत बड़ा योगदान है ।

[1]-जाफ्रलो, क्रि. अनुवाद- दत्त,यो. 2009. *भीमराव आबेड़कर, एक जीवनी* . नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. पृष्ठ-14

[2] - कीर, ध. *डा. बाबासाहब आम्बेडकर जीवन चरित.* पृष्ठ 474.

[3] - ये विचार शान्ति स्वरुप बौद्ध, प्रकाशकीय में,"शूद्रों की खोज" -डा बी.आ.अम्बेडकर, प्रस्तावना, डा. प्रदीप आगलावे, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली,से लिये है।

[4]- संदर्भ गांधी, अंबेडकर, (आई.आई.ऐ.एस.). *दलित विमर्श.* शिमला, 2016. पृष्ठ 97.

[5]- बाबासाहेब संपूर्ण वांग्मय, इंग्लिश वॉल्यूम 8, पृष्ठ-35

[6] - प्रोफेसर विवेक कुमार (जे.न.यू.) ने यह विचार अपने निबंध बाबासाहेब आंबेडकर एवं राष्ट्र की अवधारणा में बताएं,राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर संपादन प्रशासन विवेक कुमार,अशोक दास, पब्लिकेशन नई दिल्ली जनवरी,2019. पृष्ठ-32.

[7] - बाबा साहब डा. आम्बेडकर, सम्पूर्ण वांग्मय, खण्ड 1, पृष्ठ-32

[8] - बाबा साहब डा. आम्बेडकर, सम्पूर्ण वांग्मय, खण्ड 1, पृष्ठ-106

[9] - डा भीमराव रामजी आंबेडकर : यात्रा के पदचिन्न, डा. कुलदीप चंद अग्निहोत्री, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, प्रथम संस्करण, 2018. पृष्ठ-51

[10] - शूद्रों की खोज, डा. बी. आर. आबेड़कर, प्रस्तावना डा. प्रदीप आगलाव, अनुवाद मोजेज माईकेल, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, छठा संस्करण, 2018. पृष्ठ-23

[11] - सांभरिया एवं रत्नकुमारण 2015ण *डॉण अम्बेडकर . एक प्रेरक जीवनण* जयपुररू बुद्धम पब्लिशर्सण पृष्ठ.19ण

[12]. बसु, दुर्गादास. 2005. *भारत का संविधान एक परिचय.* नई दिल्ली: वाधावा एण्ड कम्पनी. पृष्ठ.25

[13] - गुप्ताए राजेशए 1994ण *डॉ० अम्बेडकर एवं सामाजिक न्यायण* दिल्लीरू मानक पब्लिकेशन्स प्रा०लिमिटेडण पृष्ठ. 103ण

[14]- गुप्ता, राजेश, वही, पृष्ठ-106 एवं इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली. 4 जनवरी, 1998. *अण्डरस्टैंडिंग अम्बेडकर कान्स्ट्रक्शन ऑफ नेश्नल मूवमेण्ट.* पृष्ठ-56-57

[15]- बसु, दुर्गादास. 2005. *भारत का संविधान एक परिचय.* नई दिल्ली: वाधावा एण्ड कम्पनी. पृष्ठ-25-26

[16]- जाटव, डी.आर. 1965. *द पोलिटिकल फिलास्फी ऑव बी0आर0 अम्बेडकर.* आगरा: पिनिंग्स एजेन्सी. पृष्ठ-100

[17] - बसु, दुर्गादास. 2005. *भारत का संविधान एक परिचय.* नई दिल्ली: वाधावा एण्ड कम्पनी. पृष्ठ-24